न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

आदेश

विविध वाद सं0– 41/2017–18

प्रथम पक्ष – एतवा उरॉव .... बगैरह।
बनाम
द्वितीय पक्ष – झारखण्ड सरकार .... बगैरह।

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
14.2.23		

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी 1. एतवा उरॉव वो अगस्तुस उरॉव, पिता – स्व0 मथुरा उरॉव, 2. आनंद उरॉव वो विश्राम उरॉव वो बिरसा उरॉव, पिता – स्व0 छोटन उरॉव, 3. जुलयूस उरॉव वो निकोलस उरॉव, पिता – स्व0 बाबुराम उरॉव, 4. दिलीप तिग्गा वो मनीष तिग्गा, पिता – स्व0 राजेश उरॉव सभी ग्राम – सरूड़ा, थाना – बसिया, जिला – गुमला के द्वारा मौजा – सरूड़ा के खाता सं0 107 के संबंध में अपील दायर किया गया।

वादगत् भूमि का विवरण

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
सरूड़ा	107	418 695 705 712 849 902	5.30 एकड़

कुल रकबा 5.30 एकड़

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल विविध वाद को सुनवाई हेतु इस वाद को ग्रहण किया गया। अपील आवेदन पर कार्रवाई प्रारम्भ कर अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी की ओर से लिखित बहसः–

अपीलार्थी नोटिस प्राप्त कर अपने प्रधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए । अपीलार्थी द्वारा मौजा सरूड़ा, थाना – बसिया, थाना – 142, जिला – गुमला के खाता नं0 107 को दिनांक – 04.11.1942 में खरीदी गई। खाता सं0 107, प्लॉट सं0 – 418, रकबा – 0.91 डी0, प्लॉट सं0 – 695 , रकबा – 0.06 डी0, प्लॉट सं0 – 705 , रकबा – 0.50 डी0, प्लॉट सं0 – 712 , रकबा – 1.79 डी0, प्लॉट सं0 – 849, रकबा – 0.54 डी0, प्लॉट सं0 – 902, रकबा – 1.50 डी0, जो दिनांक – 04.11.1942 को खरीदी गई है से लेकर वर्ष 2016 तक कुल रकबा – 5.30 एकड़ का मालगुजारी रसीद कटता है। परन्तु बाद में मालगुजारी रसीद कटाने पर रकबा 4.29 एकड़ जमीन का रसीद कटता है। जबकि आवेदकगण उपरोक्त वर्णित जमीन को बिक्री

नहीं किए है। बाद में पता चलता है कि गंगा उरॉव, पिता – स्व0 मथुरा उरॉव ने दाखिल खारीज हेतु गंगा उरॉव खाता सं0 107, प्लॉट सं0 – 716, रकबा – 1.01 एकड़ का आदेश भी हुआ। प्लॉट सं0 716 से आवेदक का कोई मतलब नहीं है। चूँकि राजस्व कर्मचारी को बोआस तिर्की के पंजी II से कम करना चाहिए था। वास्तविकता बताने पर भी राजस्व कर्मचारी ने सुधार करने से इंकार किया। बोआस तिर्की के द्वारा जमीन बिक्री किया गया है तो पंजी II में जमीन का रकबा घटना चाहिए न कि आवेदकों का। अंचल अधिकारी, बसिया से सूचना अधिकार से मांग की गई थी, जिसमें अंचल अधिकारी अपने स्तर से जबाब में स्पष्ट लिखा है कि खाता सं0 107, प्लॉट सं0 716 बोआस तिर्की के पंजी II से रकबा कम करना चाहिए था, लेकिन आवेदकों के द्वारा खरीदी गई जमीन से रकबा 1.01 एकड़ कर दिया गया है और राजस्व कर्मचारी के द्वारा आवेदक का जमीन का रकबा घटाकर 4.29 एकड़ कर मालगुजारी रसीद निर्गत किया है।

अतः श्रीमान् से अनरोध है कि रकबा सुधार कराते हुए रकबा 5.30 एकड़ जमीन का रसीद काटने का आदेश करने की कृपा की जाय।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल कागजात।

1 वर्ष 1942 का पट्टा की छायाप्रति।
2 रकबा 5.30 एकड़ का रसीद 2007–08 की छायाप्रति।
3 रकबा 4.29 एकड़ का रसीद 2016–17 की छायाप्रति।
4 बोआस तिर्की वो खरीददार गंगा उरॉव के पट्टा नं0 1486/06 की छायाप्रति।
5 अंचल कार्यालय का आदेश एवं शुद्धिपत्र की छायाप्रति। खाता सं0 107, प्लॉट सं0 – 716, रकबा – 1.01 एकड़

अंचल अधिकारी, बसिया से प्राप्त प्रतिवेदन – मौजा सरूड़ा के खाता नं0 107, प्लॉट नं0 – 418, 695, 705, 712, 849, 902, रकबा क्रमशः 0.91, 0.06. 0.50, 1.79, 0.54, 1.50 कुल रकबा – 5.30 एकड़ का राजस्व कागजातों का मिलान किया एवं पाया कि आवेदित भूमि आर.एस. खतियान में लेंटगु खड़िया, पिता – बंधु खड़िया के नाम पर दर्ज है। तथा पंजी II में मथुरा उरॉव वो बाबुराम उरॉव पिता – गंगु उरॉव के नाम पर दर्ज है। परन्तु इनके कुल रकबा 5.30 एकड़ में से 1.01 एकड़ जमीन घटाकर पंजी II के पेज नं0 110 भोलूम II में गंगा उरॉव, पिता – मथुरा उरॉव के नाम पर दाखिल खारीज नं0 127 R27/07-08 द्वारा दर्ज है। जिसका खाता नं0 107, प्लॉट नं0 716, रकबा 1.01 एकड़ है।

सूचना अधिकार के अधिनियम के तहत अंचल कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन – मौजा सरूड़ा के खाता सं0 – 107, प्लॉट सं0 – 716, रकबा – 1.01 डी0 वास्तव में रकबा 1.01 डी0 भूमि बोआस तिर्की के खाते से घटना चाहिए था, परन्तु तत्कालीन राजस्व कर्मचारी के द्वारा मथुरा उरॉव वगैरह के खाता से घटाया गया है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों एवं अपीलार्थी के दाखिल दस्तावेज लिखित जवाब, बहस सुनने एवं अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद मौजा सरूड़ा, थाना – बसिया, थाना – 142, जिला – गुमला के खाता नं0 107 को दिनांक – 04.11.1942 में खरीदी गई। खाता सं0 107, प्लॉट सं0 – 418, रकबा – 0.91 डी0, प्लॉट सं0 – 695 , रकबा –

0.06 डी0, प्लॉट सं0 – 705 , रकबा – 0.50 डी0, प्लॉट सं0 – 712 , रकबा – 1.79 डी0, प्लॉट सं0 – 849, रकबा – 0.54 डी0, प्लॉट सं0 – 902, रकबा – 1.50 डी0, कुल रकबा – 5.30 एकड़ भूमि से संबंधित है। अंचल अधिकारी, बसिया के द्वारा सूचना के अधिकार में यह उल्लेख किया गया है कि मौजा सरूड़ा के खाता सं0 – 107, प्लॉट सं0 – 716, रकबा – 1.01 डी0 वास्तव में रकबा 1.01 डी0 भूमि बोआस तिर्की के खाते से घटना चाहिए था, परन्तु तत्कालीन राजस्व कर्मचारी के द्वारा मथुरा उरॉव वगैरह के खाता से घटाया गया है।

अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, बसिया को आदेश दिया जाता है कि खाता सं0 – 107, प्लॉट सं0 716, रकबा – 1.01 एकड़ भूमि के विक्रेता बोआस तिर्की के पंजी ।। से रकबा को घटाने हुए आवेदकगण के पंजी ।। में रकबा सुधार कर रसीद निर्गत करेंगे। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, बसिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल पदाधिकारी
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल पदाधिकारी
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.19 13:04:04 +05:30
Location: 192.168.1.10